कार्यालय परिपत्र सं0-2021006 दिनांक 03-07-2020

पत्र संख्या/93/ ज्वाइंट कमिश्नर (GST)/SOP under rule-86A/केन्द्रीय क्षेत्राधिकार/2019–20/वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ:: दिनॉक: ~~जून, 2020~~ 03 जुलाई, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0/अपील),
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0/कार्पो0सर्कि0/टैक्स आडिट),
समस्ट डिप्टी कमिश्नर, (कर निर्धारण/वि0अनु0शा0/टैक्स आडिट),
समस्त असिस्टेण्ट कमिश्नर, (कर निर्धारण/वि0अनु0शा0/टैक्स आडिट),
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, (कर निर्धारण/वि0अनु0शा0/टैक्स आडिट)।

विषयः अस्तित्वहीन फर्मों द्वारा जारी इनवाइसेज एवं अन्य प्रपत्रों के आधार पर केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों/फर्मों/फर्मों द्वारा क्लेम की गयी क्रेडिट की नियम–86A के तहत Blocking/Unblocking की प्रक्रिया (SOP)निर्धारित किये जाने के संबंध में।

अस्तित्वहीन फर्मों द्वारा जारी की जाने वाली इनवाईसेज एवं अन्य प्रपत्रों के आधार पर राज्य कर प्रशासन के क्षेत्राधिकार में पंजीकृत व्यक्तियों/फर्मों द्वारा क्लेम की गयी आई0टी0सी0 की Blocking/Unblocking के संबंध में उत्तर प्रदेश एस0जी0एस0टी0 नियमावली एवं इसके समतुल्य सी0जी0एस0टी0 नियमावली के नियम–86A के प्राविधानों के अंतर्गत विस्तृत दिशा–निर्देश (SOP) मुख्यालय के परिपत्र संख्या– ज्वाइंट कमिश्नर (GST)/SOP under rule-86A/2019–20/909 वाणिज्य कर दिनांक 07 फरवरी, 2020 से जारी किये गये हैं।

समसंदर्भ में विभाग की वि0अनु0शा0 इकाइयों के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि अस्तित्वहीन फर्मों द्वारा जारी इनवाईसेज एवं अन्य प्रपत्रों के आधार पर आई0टी0सी0 क्लेम करने वाले केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों/फर्मों द्वारा क्लेम की गयी आई0टी0सी0 की Blocking में समस्या आ रही है। ऐसे मामलों में विभागीय अधिकारियों के स्तर से कार्यवाही हेतु कोई निर्देश जारी न होने के कारण अनिश्चितता की स्थिति है। फील्ड में तैनात प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा यह तथ्य भी संज्ञान में लाया गया है कि इस प्रकार के मामलों में त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता होती है जबकि केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में पंजीकृत व्यक्तियों/फर्मों के संबंध में नियम–86A के तहत कार्यवाही हेतु केन्द्रीय कर प्रशासन के अधिकारियों को प्रकरण संदर्भित करने पर अनपेक्षित विलम्ब होता है।

जी0एस0टी0 काउंसिल द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2017 को आयोजित 9वीं बैठक में Cross empowerment to ensure single interface under GST के एजेण्डा बिन्दु पर लिया गया निम्न निर्णय भी उल्लेखनीय है–

28...

"viii- Both the Central and the State tax administration shall have the power to take intelligence-based enforcement action in respect of the entire value chain;"

उक्त समग्र तथ्यों के आलोक में उत्तर प्रदेश एस0जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा–5(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम–86A(1) एवं 86A(2) के तहत अस्तित्वहीन फर्मों के द्वारा जारी इनवाईसेज एवं अन्य प्रपत्रों के आधार पर केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में पंजीकृत व्यक्तियों/फर्मों के संबंध में कार्यवाही हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रदेश की

वि0अनु0शा0 इकाईयों में तैनात डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) एवं असिस्टेण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) तथा खण्ड कार्यालयों में तैनात डिप्टी कमिश्नर एवं असिस्टेण्ट कमिश्नर को निम्न शर्तों के साथ अधिकृत किया जाता है–

1. किसी भी वि0अनु0शा0 इकाई अथवा खण्ड में तैनात अधिकारी द्वारा किसी भी जॉच के समय कोई भी अस्तित्वहीन फर्म पाए जाने पर जॉच के 24 घंटे के अंदर जॉच पर अस्तित्वहीन पायी गयी फर्म द्वारा दाखिल रूप पत्रों यथा जी0एस0टी0आर0–3बी, जी0एस0टी0आर0–1 एवं जी0एस0टी0आर0–2ए तथा Inward outward E-Way bill डाटा का पूर्ण विश्लेषण कर अस्तित्वहीन पाये गये पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी इनवाईसेज एवं अन्य प्रपत्रों के आधार पर आई0टी0सी0 क्लेम करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों/फर्मों की पहचान सुनिश्चत करते हुए इनकी सूची तैयार कर ली जाएगी।
2. अस्तित्वहीन पाए गये पंजीकृत व्यक्तियों/फर्मों द्वारा जारी इनवाईसेज एवं अन्य प्रपत्रों के आधार पर आई0टी0सी0 क्लेम करने वाले चिन्हित पंजीकृत व्यक्तियों/फर्मों में से राज्य क्षेत्राधिकार में पंजीकृत व्यक्तियों/फर्मों के संबंध में कार्यवाही हेतु परिपत्र संख्या–909 दिनांक 07 फरवरी, 2020 से निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप संबंधित खण्ड क्षेत्राधिकार के अधिकृत अधिकारी को सूचना प्रेषित की जाएगी तथा परिपत्र संख्या–909 दिनांक 07 फरवरी, 2020 से दिये गये निर्देशों के अनुरूप अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
3. अस्तित्वहीन पाए गये पंजीकृत व्यक्तियों/फर्मों द्वारा जारी इनवाईसेज एवं अन्य प्रपत्रों के आधार पर आई0टी0सी0 क्लेम करने वाले चिन्हित पंजीकृत व्यक्तियों/फर्मों में से केन्द्र क्षेत्राधिकार में पंजीकृत व्यक्तियों/फर्मों के संबंध में नियम– 86A(1) के तहत वांछित कार्यवाही उस खण्ड कार्यालय अथवा वि0अनु0शा0 इकाई में तैनात असिस्टेण्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर द्वारा की जाएगी जिस खण्ड कार्यालय अथवा वि0अनु0शा0 इकाई में तैनात अधिकारी द्वारा जॉच पर संबंधित अस्तित्वहीन फर्म प्रकाश में लायी जाएगी। नियम–86A(1) के तहत अपेक्षित कार्यवाही कोई अस्तित्वहीन फर्म प्रकाश में आने के 2 कार्यदिवश के अंदर प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाएगी।
4. यदि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नियम–86A(1) के तहत कार्यवाही करने वाले अधिकारी से भिन्न न्याय निर्णयन प्राधिकारी (Adjudication Authority) के स्तर से किया जाना अपेक्षित हो तो संबंधित न्याय निर्णयन प्राधिकारी (Adjudication Authority) को नियम–86A(1) के तहत कृत कार्यवाही की सूचना 7 कार्य दिवस के अंदर ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी।
5. नियम– 86A(1) के तहत कृत कार्यवाही का विवरण संबंधित अधिकारी के नियंत्रक ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक)/वि0अनु0शा0 को संबंधित अधिकारी द्वारा ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी जिसकी प्रति संबंधित जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0), वि0अनु0शा0 अनुभाग, मुख्यालय तथा संबंधित केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से पृष्ठांकित की जाएगी।
6. नियम–86A(1) के तहत कृत कार्यवाही की सूचना कारण सहित संबंधित पंजीकृत व्यक्ति को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।
7. नियम–86A(1) में अंकित 4 स्थितियों से भिन्न स्थिति में नियम–86A(1) के तहत कार्यवाही नहीं की जाएगी। यह कार्यवाही नियम– 86A(1) में उल्लिखित मौद्रिक सीमा तक ही सीमित रखी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियम–86A(1) की आड में किसी Genuine Taxpayer का उत्पीडन न हो।
8. कार्यवाही हेतु अधिकृत असिस्टेण्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर द्वारा सविस्तार कारणों का उल्लेख करते हुए ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/वि0अनु0शा0 से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त नियम–86A(1) के तहत Block की

गयी Credit को नियम–86A(2) के तहत संबंधित पंजीकृत व्यक्ति के Credit Ledger से धारा–49 के अधीन किसी दायित्व के निर्वहन अथवा रिफण्ड दावे हेतु Debit किया जाना अनुमन्य किया जा सकेगा।

9. नियम– 86A(3) के प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि नियम–86A(1) के अधीन Restrictions एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात निष्प्रभावी हो जाएंगी। अतः इस श्रेणी के मामलों में राजस्व संरक्षित करने हेतु अधिनियम/नियमावली के अन्य सुसंगत प्राविधानों के तहत वांछित कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा के अंदर पूर्ण करने का दायित्व संबंधित अधिकृत न्याय निर्णयन प्राधिकारी(Adjudicating Authourity) का होगा।
10. उक्त श्रेणी के मामलों में माड्यूल एवं मॉनीटरिंग के संबंध में परिपत्र संख्या–909 दिनांक 07 फरवरी, 2020 से दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
11. निर्धारित प्रक्रिया में विचलन की स्थिति से सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

कृपया निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर,वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक उक्त।
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. एडीशनल कमिश्नर(विधि), वाणिज्य कर, मुख्यालय।
2. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(IMC/STF), वाणिज्य कर, मुख्यालय।
3. ज्वाइण्ट कमिश्नर(TRU/SIB/IT), वाणिज्य कर, मुख्यालय।

(संजय कुमार पाठक)
ज्वाइण्ट कमिश्नर(जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर, मुख्यालय।